न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 53/2017

1. सरस्वती पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर
2. अमरचन्द पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर।
3. कालुराम पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी फौजुवाला तहसील रायसिंहनगर।

–अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः–

1. श्री अजीत कुमार सुथार वकील प्रार्थीया
2. श्री अजय धारणीयां वकील अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः–13.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क(1) राज. काश्त. अधि. के तहत प्रस्तुत कर चक 78 आर.बी. के मु.नं. 106 कि.नं. 212/273 में 4.958है नहरी बारानी मय गै.मु. रास्ता भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की इसी मु.नं. के कि.नं. 5 में 0.013 है रास्ता स्वीकार करने एवं इसी मु.नं. के कि.नं. 1–10–11–20–21 में .025–.025 है. जो पूर्व में रास्ता स्वीकृत किया हुआ हैं का उपयोग नहीं होने के कारण रास्ता निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीया को अपनी जोत में आने जाने हेतु कई विकल्प होने के बावजूद भी अप्रार्थी को परेशान करने करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीया ने मु.नं. 106 के अन्य काश्तकार एवं कि.नं. 5 के काश्तकार कालूराम पुत्र कृष्णलाल को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.04.2019 को कालूराम पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तह. रायसिंहनगर को बतौर अप्रार्थी सं. 3 पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी सं. 3 ने स्वयं हाजिर आकर रिपोर्ट तह. एवं बहस वकील अप्रार्थी सं. 2 अनुसार प्रकरण में निर्णय करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/19/113 दिनांक 25.03.2019 के अनुसार जमाबंदी चक 78 आर.बी. खाता सं. 64 मु.नं. 106 प.नं. 212/273 कि.नं. 1ता3 में 0.795है कि.नं. 4/1 में .228है कि.नं. 10/2 में .127है कुल 1.088 व .026है गै.मु. रास्ता कुल 1.114है नहरी मय गै.मु. रास्ता भूमि सरस्वति देवी पत्नि ओमप्रकाश 0.662है., शैलेन्द्र कुमार–घनश्याम–सुनिता पि0 ओमप्रकाश बहिब 0.452है कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज हैं। खाता सं. 65 मु.नं. 106 प.नं. 212/273 कि.नं. 5 में .253है नहरी भूमि अमरचन्द–कालूराम पि0 कृष्णलाल कौम बिश्नोई सा. देह के नाम से खाते दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने मु.न. 106 के किला में आने जाने के लिए इसी मुरब्बा के कि.नं. 05 में 0.013है0 रास्ता चाहा गया हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 78 आर.बी. के मु.नं.106 के कि.नं. 5 में 0.013 है रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसील एवं संलग्न नजरी नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थीया की अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता की आत्यांतिक आवश्यक्ता को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 78 आर.बी. के मु.नं.106 के कि.नं. 5 में 0.013 है गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीया रास्ते में आई भूमि के बदले मुआवजे के तौर पर रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी. दर का दो गुणा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करें। तहसीलदार राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान करें। तथा उक्त स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner